

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या /2016/90(120)XXVII(8)/2006
देहरादून:: दिनांक :: 25 जुलाई, 2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची II(ख) एवं अनुसूची II(ग) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

- 1- अनुसूची-II(ख) के क्रमांक 95 पर विद्यमान प्रविष्टि हटा दी जायेगी।
- 2- अनुसूची II(ग) के क्रमांक 3 पर विद्यमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी; अर्थात्-


क्र0सं0	माल का विवरण	कर की दर
4	लीसा	2 प्रतिशत


(दिलीप जावलकर)
सचिव

सं0 470/2016/90(120)/XXVII(8)/2006 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3- भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4- सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन0आई0सी0
- 6- गार्ड फाईल हेतु।


.....अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव

अनुसचिव
उत्तराखण्ड, देहरादून

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 470/2016/90(120)/XXVII(8)/2006 dated 25 July, 2016 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 470/2016/90(120)/XXVII(8)/2006
Dehradun :: Dated :: 25 July, 2016

Notification


WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is please to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the following amendment in Schedule-II (b) and Schedule-II (c) of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

Amendment

- 1- In Schedule II (b), the existing entry at serial no. 95 shall be deleted.
- 2- In Schedule II (c), after the existing entry at serial no. 3, the following entry shall be added, namely -

Sl.No.	Description of goods	Rate of Tax
4	Resin	2 Percent


(Dilip Jawalkar)
Secretary